सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज
S.M.R. JANJATIYA (P.G.) COLLEGE
Affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University, Approved by MHRD, Govt. of India

महाविद्यालय छात्र प्रतिनिधि नियमावली –2024
"College Student Representative Rules -2024

महाविद्यालय के **पत्र, पत्रांक संख्या–01824/SMR-028(2)/018/2024** दिनांक **07 मई, 2024** के अनुपालन में, महाविद्यालय छात्र प्रतिनिधि नियमावली 2022 में माननीय चेयरमैन महोदय के अनुमोदनोपरान्त डॉ0 रवि कुमार (सह प्राध्यापक भूगोल विभाग) की अध्यक्षता में महाविद्यालय छात्र प्रतिनिधि नियमावली, संशोधन समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा छात्र प्रतिनिधि नियमावली में आंशिक संशोधन करने हेतु दिनांक 10 सितम्बर, 2024, 14 अक्टूबर 2024, 16 अक्टूबर, 2024 एवं 20 दिसम्बर, 2024 को बैठकें आहूत की गई।

प्रस्ताव :– महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए महाविद्यालय छात्र प्रतिनिधि समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में कुल पाँच पदाधिकारी एवं तीन सदस्य होंगे। समिति की कार्यकारिणी गठन में सभी छात्रों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर प्राप्त हो, इस उद्देश्य से संशोधन समिति ने सर्वसहमति से निर्णय लिया है कि छात्र/छात्रा का पहले विभागीय परिषद में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। विभागीय परिषद से चयनित/नामित होने के उपरान्त निम्नलिखित नियमों के आधार पर समिति की मुख्य कार्यकारिणी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सह–सचिव) के लिए पात्रता सुनिश्चित की जायेगी। इसलिए महाविद्यालय छात्र प्रतिनिधि नियमावली 2022 में निम्नलिखित बिदुओं पर संशोधन प्रस्तावित किये गये है–

01– बिन्दु संख्या 3 के उपबिन्दु 4 के सन्दर्भ में संशोधन प्रस्ताव

i- महाविद्यालय छात्र प्रतिनिधि समिति में कुल पाँच पदाधिकारी होंगे।

ii- महाविद्यालय के सभी संकायों से निर्वाचित/नामित विभागीय परिषद कार्यकारणी सदस्य ही छात्र प्रतिनिधि समिति (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सह–सचिव) के लिये प्रत्याशी व मतदान के योग्य/पात्र होंगे।

iii- महाविद्यालय छात्र प्रतिनिधि समिति में सह–सचिव पद हेतु केवल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र/छात्राऐं ही योग्य/पात्र होंगे।

iv- महाविद्यालय छात्र प्रतिनिधि समिति में सचिव व कोषाध्यक्ष के पद प्राचार्य द्वारा नामित शिक्षक के लिए (पूर्व नियमावली अनुसार) यथावत् रहेंगे।

v- महाविद्यालय सांस्कृतिक समिति, महाविद्यालय क्रीड़ा समिति एवं महाविद्यालय पूर्व छात्र समिति की छात्र कार्यकारिणी के अध्यक्ष/सचिव, महाविद्यालय छात्र प्रतिनिधि समिति के पदेन सदस्य होगे।

02– बिन्दु संख्या 5 (क) के द्वितीय चरण के सन्दर्भ में संशोधन प्रस्ताव

i- महाविद्यालय के सभी विभागीय परिषद कार्यकारिणी/समिति सदस्यों की उपस्थिति में छात्र प्रतिनिधि (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सह–सचिव) पदों का चुनाव सम्पन्न किया जाएगा।

ii- महाविद्यालय छात्र प्रतिनिधि के (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सह–सचिव) पद हेतु केवल विभागीय परिषद कार्यकारणी के सदस्य ही प्रत्याशी के लिए योग्य/पात्र होंगे।

सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज

S.M.R. JANJATIYA (P.G.) COLLEGE

Affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University, Approved by MHRD, Govt. of India

iii- महाविद्यालय छात्र प्रतिनिधि समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सह–सचिव पदों के चुनाव में केवल विभागीय परिषद कार्यकारिणी सदस्यों को मतदान का अधिकार होगा।

उपरोक्त बिन्दुओं को संशोधन समिति द्वारा महाविद्यालय छात्र प्रतिनिधि नियमावली 2022 में सम्मिलित तथा संशोधन करने हेतु प्राचार्य महोदय को अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित–

अध्यक्ष
डॉ0 रवि कुमार
सह प्राध्यापक भूगोल विभाग

प्रभारी / सचिव
श्री प्रदीप कुमार
महाविद्यालय छात्र प्रतिनिधि समिति

सदस्य
डॉ0 शशिकला
सहायक प्राध्यापक हिन्दी विभाग

सदस्य
श्री रिंकूदास भारती
सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग

सदस्य
श्री गम्भीर सिंह
सहा0 प्रशासनिक अधिकारी

सदस्य
श्री नरेश कुमार
छात्र प्रतिनिधि

सदस्य
श्रीमती काजल
छात्र प्रतिनिधि

सदस्य
श्री महेन्द्र सिंह तोमर
अध्यक्ष, अभिभावक शिक्षक समिति

सदस्य
श्री आशीष वर्मा
पूर्व छात्र प्रतिनिधि

उपरोक्त सभी प्रस्तावों का अनुमोदन करते हुए संशोधन नियमावली को सत्र 2025–26 से लागू किये जाने की अनुमति हेतु माननीय चेयरमैन महोदय को सादर प्रेषित।

हस्ताक्षर
प्राचार्य

महाविद्यालय छात्र प्रतिनिधि संशोधित नियमावली को लागू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर 10/02/2025
चेयरमैन